न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी डॉ. राजेश गोयल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 10/2021 प्रार्थना पत्र धारा 6ए

सरकार जरिये अमरेन्द्र कुमार मिश्र प्रवर्तन अधिकारी भीलवाडा

–प्रार्थी

बनाम

1. श्री अंकुर राय पुत्र उमेश कुमार राय निवासी कमला विहार, भीलवाडा
2. श्री यश शर्मा पुत्र शंकरलाल शर्मा निवासी कुम्भा सर्किल के पास, आजाद नगर, भीलवाडा
3. श्री लोकेश लोहार पुत्र किशन लाल लोहार निवासी कुम्भा सर्किल के पास आजाद नगर भीलवाडा
4. श्री महिपाल सिंह पुत्र नरेन्द्र सिंह चुण्डावत निवासी आजाद नगर भीलवाडा
5. श्री विक्रम सिंह पुत्र खानसिंह निवासी उलेला तहसील जहाजपुर ड्राईवर टैंकर क्रमांक आर. जे. 06 जीबी 9898

–विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत जब्तशुदा टैंकर क्रमांक आर. जे. 06 – जीबी – 9898 मय 18 के.एल.आई. एफ.ओ. (Industrial Fuel Oil), 03 ड्रमों में भण्डारित 580 लीटर तरल पदार्थ को राजसात करने बाबत।

उपस्थित –

1. विभागीय पेरोकार – प्रार्थी की ओर से
2. श्री प्रकाश चन्द्र शर्मा अधिवक्ता – विपक्षी संख्या 01 की ओर से
3. विपक्षी संख्या 02 से 04 स्वयं उपस्थित
4. श्री आदित्य नारायण जाजपुरा अधिवक्ता – विपक्षी संख्या 05 टैंकर एवं तरल पदार्थ मालिक – श्री शनिदेव एन्टरप्राईजेज की ओर से

निर्णय

दिनांक 30.09.2021

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना–पत्र अतंर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 का विपक्षी के विरूद्ध प्रस्तुत कर यह निवेदन किया गया कि दिनांक 26.06.2021 को 7.40 पी. एम. पर सीआई पुर श्री मुकेश कुमार वर्मा एवं एटीएस निरीक्षक अजमेर श्री रोडमल की सूचना पर 10.00 पी.एम. पर जिला रसद अधिकारी सुनील कुमार घोड़ेला एवं प्रवर्तन अधिकारी भीलवाड़ा अमरेन्द्र कुमार मिश्र आटुण पंचायत स्थित सरपंच होटल पहुंचे तो मौके पर सीआई पुर एवं एटीएस निरीक्षक अजमेर मिले जिन्होंने बताया

अति. जिला कलक्टर
भीलवाडा

कि उन्हें 7.40 पी.एम. पर टैंकर क्रमांक आर. जे. 06–जीबी–9898 सरपंच होटल पर खड़ा मिला जिसे मोटर द्वारा होटल परिसर के भूमिगत टैंक में तेल खाली करवाये जाने की योजना थी कि पुलिस दल द्वारा मौके पर पहुंच कर उसे रोक दिया गया। पुलिस दल की उपस्थिति में टैंकर की जांच की गई तो उसके कम्पाटमेंट में 18 के.एल. ऑयल मिला। मौके पर जांच दल द्वारा धर्मराज पैट्रोकेमिकल्स का बिल नम्बर 237 दिनांक 26/06/2021 पेश किया गया जिसमें श्री शनि देव इन्टरप्राईजेज के नाम 20 के.एल. का आई.एफ.ओ. (Industrial Fuel Oil) किया जाना बताया गया। मौके पर सरपंच होटल मालिक श्री अशोक चौधरी जिन्होंने बताया कि उन्होंने होटल को कॉन्ट्रेक्ट पर जरिये इकरार नामा श्री अंकुर राय एवं अन्य को दिया है जिसने श्री शनिदेव इन्टरप्राईजेज को सरपंच होटल की दुकान (10 फीट बाई 10 फीट) एवं (50 फीट बाई 100 फीट) की जगह बायाडीजल एवं ऑयल के व्यापार के लिये किराये पर दिया है। सीआई पुर के मोबाईल पर धर्मराज पेट्रोकेमिकल्स के मालिक गंगाराम सोयाल से वार्ता हुई तो उन्होंने टैंकर नम्बर आर. जे 06 – जीबी – 9898 से श्री शनिदेव इन्टरप्राईजेज को 20 के.एल. आई.एफ.ओ. (Industrial Fuel Oil) को बेचान एवं उसकी आपूर्ति करना बताया। उन्होंने बताया कि आईएफओ को इण्डस्ट्रीज में फ्यूल के रूप में काम में लिया जाता है। सरपंच होटल के बैसमैन्ट में 07 ड्रमों (लोहे एवं प्लास्टिक) में 580 लीटर तरल पदार्थ का भण्डारण पाया गया। जांच दल (अजमेर एटीएस एवं पुलिस थाना पुर) द्वारा आईएफओ को डीजल के रूप में फर्म श्री शनिदेव इन्टरप्राईजेज द्वारा अवैध रूप से बेचान की आशंका जाहिर की गई फलस्वरूप टैंकर नम्बर आर. जे. 06 जीबी – 9898 मय 18 के. एल. आईएफओ एव 580 लीटर तरल पदार्थ (03 ड्रमों में संग्रहित) को अनुसंधान हेतु रोका जाकर पुलिस थाना पुर के प्रभारी मुकेश कुमार वर्मा को संभलाया गया। होटल की दीवार से लगी एक मोटर पाई गई जिसकी पाईप लाईन को पुलिस दल द्वारा जेसीबी से खुदवाया गया तो एक भूमिगत टैंक पाया गया जिसका डिप 87 सेन्टीमीटर पाया गया। डिप चार्ट नहीं होने से भूमिगत टैंक में भण्डारित तेल/तरल पदार्थ की मात्रा का आंकलन नहीं किया जा सका। मोटर एवं टैंक में उपलब्ध तरल पदार्थ को होटल मालिक अशोक चौधरी को संभलाया गया एवं टैंक सील कर दिया गया। अशोक चौधरी को मोटर एवं भूमिगत टैंक में भण्डारित तरल पदार्थ को खुर्द बुर्द नहीं करने एवं आगजनी एवं अन्य दुर्घटना से सुरक्षित रखने हेतु पाबन्द किया गया। कार्यवाही के दौरान मौके पर टैंकर चालक से पूछताछ की गई तो उसने उसका नाम श्री विक्रम सिंह पुत्र खानसिंह निवासी उलेला तहसील जहाजपुर होना बताया। मौके पर श्री शनिदेव इन्टरप्राईजेज के मालिक मौजूद नहीं मिले। चूंकि फर्म श्री शनिदेव इन्टरप्राईजेज द्वारा अवैध रूप से आईएफओ/तरल पदार्थ का भण्डारण एवं उसका डीजल के रूप में अविधिक रूप से विक्रय किया जाकर मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश, 2005 के प्रावधानों का उल्लंघन किया जाकर आवश्यक

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध किया गया है। अतः जांच को आगे बढ़ाते हुए दिनांक 03/08/2021 को थाना पुर के एएसआई के कब्जे से थाना परिसर पुर में खड़ा टैंकर क्रमांक आर.जे.06–जीबी–9898 मय 18 के.एल.आई.एफ. ओ., 03 ड्रमों में भण्डारित 580 लीटर तरल पदार्थ को जब्त सरकार किया जाकर सुरक्षा की दृष्टि में खुर्द बुर्द नहीं होने एवं आवश्यक होने पर यथास्थिति में संभलाये जाने की शर्तों पर श्री ओमप्रकाश एएसआई थाना पुर को सुपुर्दगी में दिया गया। उल्लेखनीय है कि दिनांक 27.06.2021 को थाना पुर में मैसर्स श्री शनिदेव इन्टरप्राईजेज के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत प्राथमिकी दर्ज करवा दी गई थी। चूंकि आरोपियों द्वारा आईएफओ एवं तरल पदार्थ का अवैध रूप से भण्डारण एवं विक्रय किया जाकर मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के प्रावधानों का उल्लंघन किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध किया गया है, अतः कार्यवाही संबंधी पत्रादि प्रस्तुत करते हुए निवेदन है कि जब्तशुदा टैंकर क्रमांक आर.जे. 06–जीबी–9898 मय 18 के.एल. आई.एफ.ओ., 03 ड्रमों में भण्डारित 580 लीटर तरल पदार्थ को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के अन्तर्गत राजसात करने का आदेश फरमावें। चूंकि जब्तशुदा तरल पदार्थ एवं आईएफओ ज्वलनशील पदार्थ है एवं प्रकरण के निस्तारण में समय लगने से तरल पदार्थ एवं आईएफओ की मात्रा में छीजत की भी संभावना है अतः प्रकरण में जब्तशुदा तरल पदार्थ / आईएफओ के अन्तरिम निस्तारण का भी आदेश फरमावें।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 19.08.2021 को पंजीबद्व किया जाकर विपक्षी को वज़ह जाहिर हेतु नोटिस जारी किया गया। विपक्षीगण की ओर से जवाब पेश किया गया। विपक्षी संख्या 05 के टैंकर मालिक द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 457 सी. आर. पी. सी. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में वाहन टैंकर नंबर आर जे 06 जीबी 9898 को मय माल जिसका खरीदशुदा बिल पेश किये जाने से पुनः विपक्षी संख्या 05 के मालिक श्री शनिदेव एन्टरप्राईजेज की सुपुर्दगी में दिया जावे। न्यायालय के आदेशानुसार जमानतनामा/सुपुदर्गीनामा पेश करने को तैयार हैं।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। दौराने बहस प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते निवेदन किया कि फर्म श्री शनिदेव इन्टरप्राईजेज द्वारा अवैध रूप से आईएफओ/तरल पदार्थ का भण्डारण एवं उसका डीजल के रूप में अविधिक रूप से विक्रय किया जाकर मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश, 2005 के प्रावधानों का उल्लंघन किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध किया गया है। अतः जांच को आगे बढ़ाते हुए दिनांक

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

03/08/2021 को थाना पुर के एएसआई के कब्जे से थाना परिसर पुर में खड़ा टैंकर क्रमांक आर.जे.06–जीबी–9898 मय 18 के.एल.आई.एफ.ओ., 03 ड्रमों में भण्डारित 580 लीटर तरल पदार्थ को जब्त सरकार किया जाकर सुरक्षा की दृष्टि में खुर्द बुर्द नहीं होने एवं आवश्यक होने पर यथास्थिति में संभलाये जाने की शर्तों पर श्री ओमप्रकाश एएसआई थाना पुर को सुपुर्दगी में दिया गया। चूंकि आरोपियों द्वारा आईएफओ एवं तरल पदार्थ का अवैध रूप से भण्डारण एवं विक्रय किया जाकर मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के प्रावधानों का उल्लंघन किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध किया गया है, अतः कार्यवाही संबंधी पत्रादि प्रस्तुत करते हुए निवेदन है कि जब्तशुदा टैंकर क्रमांक आर.जे.06–जीबी–9898 मय 18 के.एल. आई.एफ.ओ., 03 ड्रमों में भण्डारित 580 लीटर तरल पदार्थ को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के अन्तर्गत राजसात करने का आदेश फरमावें।

विपक्षी अधिवक्ता ने अपनी बहस में जवाब के बिन्दुओं को दोहराते हुये निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में विपक्षी संख्या 01 से लगायत 04 का उक्त अपराध से कोई सरोकार नही हैं। विपक्षीगण ने उक्त दुकान को जरिये किरायेनामा फर्म शनिदेव एन्टरप्राईजेज प्रो० छोटु सिंह को किराये पर दिया हैं। विपक्षीगण संख्या 01 से लगायत 04 का उक्त प्रकरण व जब्तशुदा माल से कोई सरोकार नही हैं। उक्त जब्तशुदा माल को न्यायालय द्वारा राजसात किया जाये या छोड़ा जाये तो इस बाबत् विपक्षी संख्या 01 से लगायत 04 को कोई आपत्ति नहीं हैं। उक्त प्रकरण में विपक्षी संख्या 01 से लगायत 04 का कोई सरोकार नही होने से उन्हे इस प्रकरण से बरी किया जाये।

प्रार्थी/विपक्षी शनिदेव एन्टरप्राईजेज प्रो. छोटू सिंह पिता सगत सिंह राजपूत निवासी बैंरा के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि उक्त प्रकरण में जब्तशुदा वाहन टैंकर मय माल उसका हैं। जब्तशुदा माल को उसने जरिये मैसर्स धर्मराज पेट्रोकेमिकल्स से खरीदा हैं एवं उस माल को कय विकय परिवहन एवं भण्डारण करेन के लिए भारत सरकार व राजस्थान सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन्स व नोटिफिकेशन के अनुसार किया जाता हैं। कोई अवैध कारोबार नही किया जाता हैं। जरिये लाइसेन्स ही सारा कार्य किया जाता हैं। उक्त जब्तशुदा वाहन का भी अनुसंधान में अब कोई आवश्यकता नही होने से उसे पुनः प्रार्थी/विपक्षी के मालिक को सौंपा जाना उचित हैं। न्यायालय के आदेशानुसार जमानतनामा/ सुपुदर्गीनामा पेश करने को तैयार हैं। वाहन मालिक से संबंधित समस्त मूल दस्तावेज प्रार्थी /विपक्षी के पास हैं। निवेदन हैं कि प्रकरण में उक्त जब्तशुदा वाहन टेंकर नंबर आर जे 06 जीबी – 9898 को मय माल प्रार्थी/ विपक्षी को सुपुदर्गी में दिलाया जाये।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जिस अनुसार पाया गया कि प्रवर्तन निरीक्षक ने अपने प्रार्थना पत्र

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

में अंकित किया कि फर्म शनिदेव इन्टरप्राईजेज द्वारा अवैध रूप से आईएफओ/तरल पदार्थ का भण्डारण एवं उसका डीजल के रूप में अविधिक रूप से विक्रय किया जाकर मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश, 2005 के प्रावधानों का उल्लंघन किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध किया गया है। अतः दिनांक 03/08/2021 को थाना पुर के एएसआई के कब्जे से थाना परिसर पुर में खड़ा टैंकर क्रमांक आर.जे.06-जीबी-9898 मय 18 के.एल.आई.एफ.ओ., 03 ड्रमों में भण्डारित 580 लीटर तरल पदार्थ को जब्त सरकार किया जाकर सुरक्षा की दृष्टि में खुर्द बुर्द नहीं होने एवं आवश्यक होने पर यथास्थिति में संभलाये जाने की शर्तों पर श्री ओमप्रकाश एएसआई थाना पुर को सुपुर्दगी में दिया गया। चूंकि आरोपियों द्वारा आईएफओ एवं तरल पदार्थ का अवैध रूप से भण्डारण एवं विक्रय किया जाकर मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के प्रावधानों का उल्लंघन किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध किया गया है, अतः जब्तशुदा टैंकर क्रमांक आर.जे.06-जीबी-9898 मय 18 के.एल. आई. एफ.ओ., 03 ड्रमों में भण्डारित 580 लीटर तरल पदार्थ को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के अन्तर्गत राजसात करने का आदेश किया जावे।

विपक्षी शनिदेव एन्टरप्राईजेज प्रा. छोटू सिंह पिता सगत सिंह राजपूत ने उक्त दुकान का किरायानामा एवं वाहन टैंकर नंबर आर जे 06 जीबी 9898 की ओरिजनल आर. सी. तथा अन्य पत्रादि प्रस्तुत करते हुये जब्तशुदा आईएफओ एवं तरल पदार्थ का कयशुदा बिल, परचेज ऑर्डर, रजिस्ट्रेशन एवं लाईसेन्स के पत्रादि पेश किये गये। (विपक्षी शनिदेव एन्टरप्राईजेज प्रो. छोटू सिंह द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित किया एवं बहस में कथन किया कि जब्तशुदा वाहन ट्रक नंबर आर जे 06 जीबी 9898 मय माल को पुनः विपक्षी शनिदेव एन्टरप्राईजेज प्रो. छोटू सिंह को सुपुर्दगी देने हेतु वह न्यायालय में जमानतनामा व सुपुर्दगीनामा देने को तैयार हैं।) जब्तशुदा आईएफओ एवं तरल पदार्थ की आज दिनांक तक सैम्पलिंग रिपोर्ट नही आयी हैं। जिसके कारण आईएफओ एवं तरल पदार्थ को अधिक समय तक नही रखा जा सकता हैं, क्योंकि यह ज्वलनशील पदार्थ होने के कारण इससे जानमाल की हानि होने की आशंका हैं। अतः विपक्षी शनिदेव एन्टरप्राईजेज प्रो. छोटू सिंह द्वारा जमानतनामा एवं सुपुर्दगीनामा देने को तैयार होने की स्थिति में विपक्षी के कथनों पर विश्वास करते हुए जब्तशुदा वाहन टेंकर नंबर आर जे 06 जीबी 9898 मय आईएफओ एवं तरल पदार्थ को विपक्षी द्वारा शपथ पत्र जमानतनामा व सुपुर्दगीनामा पेश किये जाने पर न्यायहित में सुपुर्दगी पर दिया जाना न्यायोचित है।

अतः विपक्षी शनिदेव एन्टरप्राईजेज प्रो. छोटू सिंह द्वारा इस आशय का शपथ पत्र पेश करें कि वह जब्तशुदा वाहन टैंकर नंबर आर जे 06 जीबी 9898 हेतु कुल 20,00,000/- (बीस लाख रूपये) एवं टैंकर में जब्तशुदा 18 के. एल. आईएफओ एवं

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

तरल पदार्थ हेतु कुल 10,00,000/–(दस लाख रूपये) की जमानती एवं सुपुर्दगीनामा पेश किये जाने हेतु तैयार हैं। यदि आईएफओ एवं तरल पदार्थ की ली गयी सैपलिंग रिपोर्ट में यदि किसी मिलावट की रिपोर्ट आती है तो विपक्षी द्वारा जब्तशुदा आईएफओ एवं तरल पदार्थ की वर्तमान बाजार भाव की कीमत जमा करवाने के लिए प्रतिबद्ध रहेगा अन्यथा विपक्षी द्वारा प्रस्तुत जमानतनामा व सुपुर्दगीनामा खारिज कर दिये जायेगें।

विपक्षी वाहन मालिक जब्तशुदा वाहन को लेना चाहता हैं तो वह जमानतनामा व सुपुर्दगीनामा निम्न शर्तों के साथ इस न्यायालय को पेश करें –

1. जब्तशुदा वाहन टैंकर नंबर आर जे 06 जीबी 9898 को किसी अन्य को रहन, बय, किसी प्रकार से अन्तरित तथा खुर्द नही करेगा।
2. वाहन टैंकर के रंग रूप तथा आकार में किसी प्रकार का परिवर्तन नही करेगा।
3. न्यायालय द्वारा जब्तशुदा वाहन टैंकर नंबर आर जे 06 जीबी 9898 को तलब करने पर सुपुर्दगीदार स्वयं के खर्चे पर न्यायालय में पेश करेगा।
4. वाहन टैंकर नंबर आर जे 06 जीबी 9898 की आगे पीछे की रंगीन दो फोटो पेश करेगा।
5. सुपुर्दगी हेतु स्वयं मालिक एवं उसके अधिकृत प्रतिनिधि के उपस्थित होने पर सुपुर्दगी प्रदान की जावेगी।

अतः उपरोक्तानुसार पत्रावली वास्ते शपथ पत्र, सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा पेश करने हेतु दिनांक 08.10.2021 को पेश हो।

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)